

सेवा में

P10 Water

22/3/22

जन सूचना अधिकारी

ग्राम नौरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ग्राम नौरडा (जौलम बुद्ध नगर)

विषय :- ~~जन~~ पार्षना पत्र जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


प्राधिका सं 10-2-2022 के अपने पत्र सं 367A और इस पत्र सं 32मी. अर्न्तगत नं० BHS0776447 ओम्प्लिकेन प्रमाण एक पार्षना पत्र चार्जिज 2019 से लगाने के सम्बन्ध में दिया था जिसमें प्राधिका से बताया कि इसे उपरोक्त पत्र के कब्जा वर्ष 2019 को प्राप्त हुआ है इसलिये चार्जिज वर्ष 2019 से लिया जाना चाहिए। उपरोक्त पार्षना पत्र आपकी वही है जो आपके कार्यालय में विनायकीय है अतः उपरोक्त पार्षना पत्र पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है सूचित करने का कष्ट करें इस पार्षना पत्र के सम्बन्ध में जन सूचना शुल्क 10/- इस पत्र के सम्बन्ध में

प्राधिका
P10-जल विभाग
RTI-20388

10-जेट नं० 22/3/22
75L 074814

दि० 04-03-2022

हार्दिक
प्राधिका
लोलिता गुप्ता
पत्नी चन्द्र प्रकाश गुप्ता
सि० B-48 शातादी नगर
रामधाम रोड अलीगढ़



कार्य
 शैक्षिक विकास प्राधिकरण
 (जौलम बुद्ध नगर)

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
 ग्रेटर नौरडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
 प्लॉट नं०-1, सेक्टर नौ, लिज पकि
 ग्रेटर नौरडा सिटी
 ग्रेटर नौरडा (जौलम बुद्ध नगर)

19437
 21-3-22

₹ 3050



From
 Dalita Aupla
 F-48 Shatabdi Nagar
 Ramghat Road
 Aligarh

मिसे: उपरोक्त पत्रिका पत्र पर आपके द्वारा बना का
 की गयी है सूचित करने का कष्ट कोप उक्त पत्र
 पत्र के साथ जनसूचना शुल्क 10/- इस पत्र के साथ
 बिलगत है P10-जल विभाग
 बिलगतक RTI-20388

10/- नोट नं० 22/3/22
 75L 074814

Label प्राविता
 लीलिता गुप्ता
 पत्नी चन्द्र प्रकाश गुप्ता
 मि० F-48 शताब्दी नगर
 रामघाट रोड, अलीगढ़

दि० 04-03-2022